

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथम/परिषद/सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक 15-9-2020

-कार्यालय आग-

भारतिय भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली / राष्ट्रीय वाजुमिस्त ऑफ इन्जिनियरिंग नई दिल्ली द्वारा संचित सत्र 2020-21 हेतु किलोवात स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुसूचक प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद लखनऊ ने सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को कार्यवाही प्राथमिक शिक्षा परिषद लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यवाही में प्रेषित किया है। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अधोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धता यथासमाप्त को सम्बद्धता विस्तार/सम्बद्धता/प्रवेश क्षमता नूतन नूतन अन्य भेदों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक में नम-2 में विषयों का इन इच्छी पाठ्यक्रम सम्बद्धता प्रदान काली पूर्ण में सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकाश करा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा प्राप्त विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

विभी क्षेत्र में स्थापित निम्नोमा इन इच्छी पाठ्यक्रम सम्बद्धता करने वाली निम्नोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएं जो प्राथमिक शिक्षा परिषद लखनऊ से पूर्ण से सम्बद्ध हैं, वे ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2020-21 हेतु यथासमाप्त अनुक्रम-2 न विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुसूचक विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदान अनुसूचक विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को कक्षा सम्बद्धता समिति की बैठक में सिधे सत्र उपरान्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नोमा शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0टी0ई0/द्वारा सत्र 2020-21 में अनुसूचित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुसूचित प्रवेश क्षमता
1	2228	एनू इण्डिया गैर इन्जीनियरिंग एंड डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, एडुटेक, लखनऊ, लखनऊ, उत्तर, मिथिला, उत्तरप्रदेश।	विभिन्न इच्छी इन्जिनियरिंग इच्छी विभिन्न इच्छी	80 24 80	80 8 80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ सत्र ए0आइ0सी0टी0ई0/ए0सी0आइ0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करनी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, सेक्टर विनियमवली-2018 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करनी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तैय्य इच्छी पाठ्यक्रमों हेतु रु0 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों भारतीय राष्ट्रीय हेतु रु0- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों पाठ्यक्रमों (दो वर्षों भारतीय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अधोदित) हेतु रु0- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक वर्ष/सत्र से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त की अधिनियम द्वारा/प्रकाशों से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-संपर्क पर सहमत द्वारा निर्णय किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और अनुसूचक अधोदित किया जाकर अधोदित होगा। जैसे निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु कक्षा का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो कक्षा की अधोदित दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा परिषदों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध शिक्षा अथवा विनियमवली-2009 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
-1

- ✓ संस्था में समुदाय प्रतिक्रिया परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करने को ही प्रोत्साहित किया जाएगा; सीटों का विस्तार यह जांच की विधि में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रयोग की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को सत्य-सत्य पर निर्भर उत्तरदायित्व के अनुसार निर्दिष्ट एवं सम्बद्धता सुलभ बना करनी होगी।
- ✓ संस्था को एग्जामिनेटिओन/टीचिंग/टीचर्स से अलग ही कर देना अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रेषित 20 विधेय/निर्देश/अधिसूचना/आयुक्त/निर्देशों पर निर्देशक प्राथमिक शिक्षा, 2020, समुदाय सेवा परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा जारी गये विधेयों/निर्देशों/आयुक्त/निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।
- ✓ निम्नलिखित इन कार्यवाही परामर्श के अन्तर्गत यदि टीसीआई नहीं मिलती तो अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इन संस्था में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, समुदाय सेवा परीक्षा परिषद प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई भी चार्ज किया जाता है तथा उत्तर प्रदेश के संस्था में मा. व्यापकता प्राप्त किसी प्रकार की प्रीपूरी तथा आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रीपूरी तथा आदेश संस्था को करनी होगी।
- ✓ निम्नलिखित इन कार्यवाही परामर्श करने वाली संस्थाओं को समुदाय सेवा परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रेषित वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु आयोजित प्रारंभ होने के पूर्व एग्जामिनेटिओन के अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को अन्ततः करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्यालय के माध्यम से) अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रेषित हेतु निर्गत अधिसूचना/आयुक्त/निर्देशों का अनुपालन करने आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने विद्यार्थियों पर संस्था की संस्था सुधार जैसे संस्था की एग्जामिनेटिओन प्रक्रिया सत्य-सत्य उत्तरदायित्व प्राप्त किया जाने वाले सुलभ उत्तरदायित्व सुलभ अर्थात् का निश्चित रूप से अर्थ होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिष्कार हेतु समुदाय सेवा परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन को संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश की कार्यवाही आवश्यक आवश्यक सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित ही सं-वि संस्था में प्रस्तावित/समाहित कार्यक्रम को पालन करने हेतु निर्दिष्ट समिति को संस्था उत्तरदायित्व कराने पर अधिकतर सुनिश्चित करनी होगी। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देशित अन्य परामर्शों के अन्तर्गत में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उत्तरदायित्व का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किया जाने को अनुमोदन की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता कार्य का अनुपालन न होने वाले संस्था उन्हें उन उत्तरदायित्व किया जाने की विधि में निम्नानुसार अनुशासनसूचक कार्यवाही की जाएगी।

(100 अक्षरों में)
सचिव

तारीख: 15-09-2020

पु0स0- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

प्रतिनिधि-समाचार/विभाग, अनु-मुक्त/वि-इतिहास/आयु-समाचार/पु-समाचार/समुदाय सेवा परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन

(100 अक्षरों में)
सचिव

15/9/20

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ(प्र) लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/संस्थाओं से संचालित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ(प्र) लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2289-BABU SUNDER SINGH INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्हदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक

शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था को समस्त सुवनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था की शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त काठावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिस्टर रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(एफ०आर० खान)

सचिव

पृ०सं०- प्राधिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, BABU SUNDER SINGH INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT



(एफ०आर० खान)

सचिव





कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिष/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

संखनऊ दिनांक- 09/08/2021

कार्यालय शपथ:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से सम्पादित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उत्तम अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2289-BABU SUNDER SINGH INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, SHERPUR LAWAI, RAIBARELI ROAD, NIGOHA, LUCKNO

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992 सेग्रेगुलर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर वासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले वासन-देश प्रभावी होंगे और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।



- संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना। विनिष्ठावर्ती-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
 - ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
 - ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से आगामी वर्ष हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
 - ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
 - ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी सी आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
 - ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश त्यक्त द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यान्वित प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्यान्वित) के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
 - ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
 - ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पूर्ति भूमि, स्टाफ, साज-सजा, उपकरण प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
 - ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वतावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
 - ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
 - ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सजा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
 - ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निष्मानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पु०सं०- प्राधिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक BABU SUNDER SINGH INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND

01/01/2021

MANAGEMENT, SHERPUR LAWAI, RAIBARELI ROAD, NIGOHA, LUCKNO



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

